तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	दस्तखत व तारीख वकलाय की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/94	[illegible] पेश हो।	
29/94	[illegible] 17-2-94 को पेश हो।	
17/94	[illegible] 17-3 को पेश हो।	
17.3.94	वादी लाल उपस्थित. वाद सुनी गयी. बाते निर्णय प्रा. पत्र दि. 19.3.94 को प्रस्तुत हो।	
19.3.94.	पत्रावली देखा हुआ. वादग्रस्त भूमि सुनी जा चुकी है. वादी का कथन है कि वह ख.नं. 1607 की खातेदारी में दर्ज है. मेरा स्वामित्व है, मेरा कब्जा है। मेरे घर अभी भूमि चार एकड़ ही है. केवल कागजों में इसका [illegible] एकड़ [illegible] प्रतिवादी [illegible] पत्रावली [illegible] गलत [illegible] मुझे परेशान [illegible] जिसे 1602 में [illegible] शामिल होना संदिग्ध होना बताया गया [illegible] उसका कोई भी बेदखल नहीं कराया गया है, जबकि ख.नं. 1602 का दूसरा बेदखल ख.नं. 1608 में [illegible] प्रतिवादी की खातेदारी में चला गया है. प्रतिवादी यह कहीं भी साबित नहीं किया है कि प्रतिवादी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] भूमि [illegible] गयी है, [illegible] भूमि के [illegible] हैं [illegible] भूमि के [illegible] हैं [illegible] भूमि [illegible] होने का है। इसमें मेरा [illegible] [illegible] किया है। यह [illegible] नं. 1317 [illegible] है। इसमें [illegible] मेरा [illegible] भी [illegible] है। इसमें [illegible] विद्वान अधिवक्ता द्वारा RRD 85 P677, RRD 81 P44, RRD 86 P472 का उद्धरण दिया गया है आमंत्रित खातेदार के विरुद्ध T.I. नहीं दिया जा सकता. उन्होंने RRD 93 P 24B एवं P443A का उद्धरण देते हुए कहा कि खातेदार के पक्ष में T.I जारी करना चाहिए और ऐसा नहीं होने से खातेदार को अपूर्णीय क्षति होती है. अतः Prima Facie case भी बनता है, आमंत्रित खातेदार को अपूर्णीय क्षति भी उसे होगी, सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। इसी स्थिति में उसके पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर प्रतिवादी को पाबंद करें कि वह मुकदमे की सम्पत्ति के मजा हस्तांतरण व मकान तामीर नहीं करें। प्रतिवादी गण का कथन है कि वि.सं. 1598 व 1602 वि. वि.सं. 1607 आठ एकर व वि.सं. 1598 व 1602 वि. में मिल रखता है। इसमें उनका पांच विस्वा का शामिल होगा है, जो वि.सं. 1607 के बाद हकों के वसूली साबित होता है। पांडे द्वारा [illegible] दिए गए हैं। जिसे [illegible] विद्वान अधिवक्ता द्वारा [illegible] P651 के उदाहरण देकर कहा कि सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना अधिकार के प्रविष्टियां बदल दी गयी है, जिससे उनकी भूमि प्रभावित हुयी जिसका अधिकार, सेटलमेंट विभाग को नहीं है, अतः विपक्षी को पाबंद किया जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मेरी भूमि में मकानखत नहीं करें।

हमने बयान का मनन किया।
यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि पुराने
ख.नं. 1602 की 3=16 बीघा भूमि में से मुख्य
भूमि ख.नं. 1907 में सम्मिलित हो गई है,
और मौके पर उतना क्षेत्रफल अधिकृत किया
है। कहीं है इस तर्क "कि भूमि केवल कागजों
में नहीं है।" कभी मूल राजस्व में तय होने पर
मालूम पड़ेगा। ख.नं. 1602 की 3=16 बीघा
रचना ख.नं. 1908 में जाना, जरिए खसरा पंजिका
सिद्ध होता है। इसका भी वर्तमान में कब्जा
होना पाया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा
खसरों से डंडल, कब्जा का उलेख जाना
स्वीकार किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत डिक्रीरक्षा सही तो है
पर वे यह साबित नहीं कर पाए कि
भूप्रबन्ध विभाग द्वारा प्रक्रियाएं वास्तव
में ही पड़ताल की गयी हैं। जबकि निगम
अभिभाषक द्वारा अच्छी भांति सिद्ध कर
दिया गया है कि पुनर्न्यायिक संतुलन,
स्वामित्व व कब्जा एवं मर्यादीकरण की स्थिति
उनके पक्ष में है। ऐसी स्थिति
में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर
अराजीगिरी मोहन की चर्मा, चर्मा/मुरली
सुभाष/चर्मा व निरंजन/चर्मा की तार्फ से
पावक किया जाता है। [illegible]
स्थित ख.नं. [illegible]
की मकानखत [illegible]
बेदखल नहीं करें, पेड़ [illegible] काटें।
प्र. पत्र फैसल होकर संलग्न मूल राजस्व है।
निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
नवलगढ़ कैम्प- नवलगढ़
(झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:34:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner